FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2023/194

अज अदालत – **जिला कलक्टर** मुकाम **अजमेर**

श्रीमती सुनीता गौतम पत्नी स्व. कुंवर पाल **बनाम** श्री देवेश गौतम पुत्र स्व. कुंवर पाल गोतम व अन्य

किस्म मुकदमाः– धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 **प्रकरण संख्याः** 35 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2023	अपीलान्ट उपस्थित। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का वांछित रेकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.01.2024 को पेश हो। डॉ. भारती दीक्षित जिला कलक्टर, अजमेर	
23/1/24	पत्रावली पेश हुई अपीलार्थ उप. रेस्पो. 1 उप. अपीलार्थ के अपील पत्र पार्ट प्रकरण को विड्रॉ करने के प्रकरण का निस्तारण किया कि पारिवारिक कारणों के कारण प्रकरण को विड्रॉ करना चाहती है अतः परिवारिक समझौता पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को विड्रॉ किए जाने का निस्तारण किया जाता। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मद्दे नजर उक्त अपीलार्थ द्वारा अपील को विड्रॉ किए जाने के संबंध में यह अपील इसी स्तर पर खारिज करने के आदेश की जाती है अपीलार्थ के सहयोगि प्रकरण अधिनियम पर स्टाम्प अंकित किए पत्रावली रेकर्ड शुमार कीजा कार्यालय के रूप में डॉ. भारती दीक्षित जिला कलक्टर, अजमेर	Dmc Ajmer 23/01/2024 सुनीता गौतम